© भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748

सत्यमेव जयते

# राज्य के वित्त पर
# भारत के नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
# 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

## उत्तराखण्ड सरकार

## विषय-सूची


| क्र. सं. | विषय | प्रस्तर | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राक्कथन | | v |
| 2. | कार्यकारी सारांश | | vii |
| | **अध्याय-1**<br>**राज्य सरकार का वित्त** | | |
| 3. | चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार | 1.1 | 2 |
| 4. | राज्य के संसाधन | 1.2 | 5 |
| 5. | राजस्व प्राप्तियाँ | 1.3 | 8 |
| 6. | संसाधनों का उपयोग | 1.4 | 12 |
| 7. | व्यय की गुणवत्ता | 1.5 | 19 |
| 8. | सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण | 1.6 | 22 |
| 9. | परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व | 1.7 | 26 |
| 10. | ऋण-वहन क्षमता | 1.8 | 28 |
| 11. | राजकोषीय असंतुलन | 1.9 | 31 |
| 12. | निष्कर्ष | 1.10 | 34 |
| 13. | संस्तुतियाँ | 1.11 | 35 |
| | **अध्याय- 2**<br>**वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण** | | |
| 14. | प्रस्तावना | 2.1 | 37 |
| 15. | विनियोग लेखे का सारांश | 2.2 | 37 |
| 16. | वित्तीय जबावदेही एवं बजट प्रबन्धन | 2.3 | 38 |
| 17. | विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन | 2.4 | 45 |
| 18. | आकस्मिकता निधि से अग्रिम | 2.5 | 47 |
| 19. | बजट प्रक्रिया में कमियाँ | 2.6 | 49 |
| 20. | चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम | 2.7 | 50 |
| 21. | निष्कर्ष | 2.8 | 51 |
| 22. | संस्तुतियाँ | 2.9 | 52 |
| | **अध्याय- 3**<br>**वित्तीय प्रतिवेदन** | | |
| 23. | उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब | 3.1 | 53 |
| 24. | विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब | 3.2 | 54 |
| 25. | दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि | 3.3 | 54 |
| 26. | लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत बुकिंग | 3.4 | 55 |
| 27. | निष्कर्ष | 3.5 | 56 |
| 28 | संस्तुतियाँ | 3.6 | 57 |

## परिशिष्ट


| स0 | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| परिशिष्ट -1 | राज्य का परिचय (उत्तराखण्ड) | 59 |
| परिशिष्ट 1.1 | भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना<br>भाग बः वित्त लेखे का विन्यास | 61/62 |
| परिशिष्ट -1.2 | भाग अः राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि<br>भाग बः राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 | 63/66 |
| परिशिष्ट -1.3 | राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े | 69 |
| परिशिष्ट -1.4 | भाग अः वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार<br>भाग बः 31 मार्च 2012 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति | 73/77 |
| परिशिष्ट -1.5 | वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी | 80 |
| परिशिष्ट -1.6 | विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के सारांशित वित्तीय विवरण | 82 |
| परिशिष्ट -2.1 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था | 83 |
| परिशिष्ट -2.2 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था | 86 |
| परिशिष्ट -2.3 | ऐसे प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 87 |
| परिशिष्ट -2.4 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 1 करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए | 90 |
| परिशिष्ट -2.5 | ₹ 10 लाख या अधिक की बचत(निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग | 91 |
| परिशिष्ट -2.6 | वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण | 93 |
| परिशिष्ट -2.7 | भाग अः वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण *(₹ 50 लाख या अधिक)*<br>भाग बः अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण | 94/95 |
| परिशिष्ट -2.8 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया | 96 |
| परिशिष्ट -2.9 | ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया | 97 |
| परिशिष्ट -2.10 | 30/31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण | 99 |
| परिशिष्ट -2.11 | व्यय की तीव्रता | 101 |
| परिशिष्ट -2.12 | वर्ष 2011-12 तक के लंबित डी. सी. बिल | 103 |

| | | |
|---|---|---|
| परिशिष्ट - 3.1 | विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण | 104 |
| परिशिष्ट -3.2 | दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2012 के अन्त में अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी) | 105 |
| परिशिष्ट -3.3 | चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 106 |
| परिशिष्ट -4.1 | शब्दावली | 107 |